बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

।। आदेश ।।

डा० सबा प्रवीण, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजान तारडीह, दरभंगा को **द्वितीय संतान** हेतु वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–640 दिनांक–19.01.2015 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 220 के तहत दिनांक–16.09.2025 से 12.03.2026 तक कुल–178 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –16/यू.1–20/2025 –1592 (आ.सं.) **पटना, दिनांक** –29.10.2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/सिविल सर्जन, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजान तारडीह, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– डा० सबा प्रवीण, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उजान तारडीह, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/10/2026
सरकार के अवर सचिव

D \MANISHA\Aadesh docx